मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
::मंत्रालय::
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 43 /2020/सी–2 भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल, 2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः– कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश – District Crisis Management Group का गठन।

––00––

कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड–19) के रोकथाम एवं बचाव हेतु शासन द्वारा गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में जिले स्तर पर की जाने वाली कार्यवाहियों हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा समय–समय पर सतत् रूप से निर्देश जारी किये गये हैं। इसी अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह (District Crisis Management Group) गठित करने का निर्णय लिया गया है :–

(1) पुलिस अधीक्षक
(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
(3) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन
(4) डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड
(5) जिला मुख्यालय के नगर निगम के आयुक्त।

साथ ही सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर स्थानीय स्तर पर ऐसे व्यक्तियों यथा सामाजिक संगठनों, प्रतिष्ठित निजी चिकित्सक, उद्योगपति आदि को बैठक में आमंत्रित कर सकेंगे जो संकट प्रबंधन में सहायक हो सकते हैं।

समूह द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न आपात स्थिति के नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप आकस्मिक कार्य योजना तैयार की जाकर उसके कियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(एस.एन.मिश्रा)
प्रमुख सचिव,
गृह विभाग

Scanned with CamScanner

क्रमांक 44/2020/सी–2 भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल 2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव वाणिज्यक कर विभाग।
2. प्रमुख सचिव,मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
5. पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश ।
6. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
7. समस्त जोनल अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
8. समस्त पुलिस अधीक्षक मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग

Scanned with CamScanner